

Court No. - 34

Case :- WRIT - A No. - 19309 of 2023

Petitioner :- Pramod Kumar

Respondent :- State Of U.P. And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Sanjay Kumar Dubey

Counsel for Respondent :- C.S.C

Hon'ble Ajit Kumar,J.

1. Heard learned counsel for the petitioner as well as learned Standing Counsel.

2. Petitioner who is seeking promotion from the post of Sub Inspector to Inspector, has come up before this Court with the prayer that the sealed envelope may be permitted to be opened in the light of provisions contained under the Government Order dated 28.05.1997 read with 09.01.2018.

3. It is argued by learned counsel for the petitioner that the sealed cover procedure was adopted in the matter of petitioner on 28.02.2018 on account of pending criminal case in connection with case crime no. 364 of 2012/367 of 2012 under Sections 147/342/302 of Indian Penal Code wherein after investigation final report got submitted on 28.08.2012. Thereafter, petitioner filed a protest petition before the Court below which came to be allowed by learned Magistrate. However, it is submitted that the trial is going on and petitioner in no circumstances responsible for the delayed criminal proceedings and therefore, his claim to open the seal cover for promotion on the post of Inspector is liable to be considered in the light of provisions as contained in para 10 of the Government Order (*supra*). Para 10 of the Government Order is reproduced hereunder:

"(10) चयन समिति द्वारा प्रथम बार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा अवधान के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे कार्मिकों के विषय में, जो निलम्बित नहीं है/ चयन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

(क) आरोपित कार्मिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप क्या इतने गम्भीर हैं कि उनके आधार पर उसे भविष्य में भी प्रोन्नति से वंचित रखा जाना उपयुक्त / जनहित में होगा।

(ख) क्या प्रशासनाधिकरण की जॉच/ विभागीय कार्यवाही अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने में काफी समय लगेगा।

(ग) प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही अभियोजन में हो रहे विलम्ब के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरोपित कार्मिक तो दोषी नहीं है।

(घ) आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने पर वह अपने पद का दुरुपयोग अथवा जॉच को कुप्रभावित तो नहीं करेगा।

(ङ) यदि सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त खण्ड(क) (ख) (ग) (घ) के आधार पर विचारोपरान्त आरोपित कार्मिकों की तदर्थ आधार पर प्रोन्नत करना उपयुक्त समझते हैं तो उस दशा में विभागीय चयन समिति के सामने मामले को रखा जायेगा जो आरोपित कार्मिक के सम्पूर्ण अभिलेखों के आधार पर उसके कार्यों का मूल्यांकन करेगी तथा तदर्थ रूप से प्रोन्नति देने के अथवा न देने के विषय में अपनी संस्तुति देगी।

(च) यदि जॉच प्रशासनाधिकरण आदि किसी अन्य एजेन्सी द्वारा कराई जा रही हो तो उस दशा में उस एजेन्सी का परामर्श भी इस बिन्दु तदर्थ आधार पर प्रोन्नति देने पर प्राप्त किया जायेगा।

(छ) उपरोक्त प्रक्रिया के उपरान्त आरोपित कार्मिक का तदर्थ रूप से प्रोन्नति किये जाने के आदेशों में यह स्पष्ट किया जायेगा कि प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिए की जाती है और शासन को उक्त तदर्थ प्रोन्नति को कभी भी समाप्त कर देने का अधिकार है तथा तदनुसार ऐसे कार्मिक को उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पद से उसे प्रोन्नत किया गया था।

(ज) तदर्थ आधार पर प्रोन्नत आरोपित कार्मिक के विरुद्ध चल रही प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही अभियोजन आदि के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती ही यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(झ) यदि न्यायालय द्वारा किसी तदर्थ रूप से प्रोन्नत कार्मिक को तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नहीं) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील या उसी आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में समक्ष प्राधिकारी इस बिन्दु पर विचार करेंगे कि आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाय अथवा नहीं।”

4. Learned Standing Counsel submits that the matter can be directed to be examined in the light of provisions as contained in para 10 of the Government Order by the competent authority in the matter which has been represented with.

5. In view of the above, this petition stands disposed of with a direction to the competent authority to look into and consider the representation of the petitioner in the light of provisions as contained in para 10 of the Government Order and pass appropriate, reasoned and speaking order within a period of two months of presentation of certified copy of this order. It is further provided that in the event respondents comes to conclude that the petitioner is entitled to benefit of reopening of the sealed envelop, the same shall be reopen and petitioner be offered ad hoc appointment subject to the conclusion of trial and be paid salary accordingly.

Order Date :- 22.11.2023

P Kesari